

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

दावा सख्या
182/17

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (R.A.S.)
रजू दिनांक
12.07.2017

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
06.11.2020

उनवान
1 सुषमा पुत्री जयकिशन पत्नी रविन्द्रसिंह जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर हाल
निवासी शाजरपुर तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0।

—: वादीया

बनाम

1. जैना
2. छैलू पुत्रान अर्जून
3. सरबती पत्नी दाताराम
4. राजपाल पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी जसाई जिला अलवर राज0।
5. सुशीला पुत्री दाताराम पत्नी इन्द्रपाल जाति जाट निवासी जसाई हाल निवासी बेरवाल तहसील
बावल जिला रेवाडी हरि0।
6. कमलेश पुत्री दाताराम भृर्तृहरि जाति जाट निवासी जसाई हाल निवासी गंगायचा तहसील व
जिला रेवाडी हरि0।
7. सुनीता पुत्री दाताराम पत्नी सीताराम जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर हाल निवासी
गंगायचा तहसील व जिला रेवाडी हरि0।
8. निर्मला पुत्री दाताराम पत्नी शमसेर जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर हाल निवासी।
9. सविता पुत्री जयकिशन जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
नाबालिग जये समप्रस्त पिता स्वयं जयकिशन पुत्र श्रीचन्द
10. सुमिता पुत्री श्रीचन्द पत्नी विजयसिंह उर्फ भजनी जाति जाट निवासी हाल शाजरपुर तहसील
व जिला रेवाडी हरि0।
11. राज0 सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
12. श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
13. प्रबधक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा राजवाडा।

—: प्रतिवादीगण


दावा 53 व 188 राज0 कास्त0 अधि0 1955

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री अशोक चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री बस्तीराम यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 06.11.2020 को श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है:-

“ उपरोक्त विवेचन के आधार आराजी खसर नम्बर 188/0.16, 318/0.15, 538/0.04, 633/0.14, 654/0.01, 815/0.21, 874/0.29, 970/0.63, 1043/0.05, 1071/0.44, 190/0.06 है0 वाके ग्राम जसाई तहसील मुण्डावर को प्राप्त कुरे कायमी रिपोर्ट “प्रदर्श-अ” के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही अलग-अलग खाते कायम कर लगान स्थापित किया जावे, अमल दरामद किया जावे तथा बैंक रहन की स्थिति में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से ऋण राशि वसूलनीय होगी। कुरे कायमी रिपोर्ट “प्रदर्श-अ” निर्णय व अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न रहेगा।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.11.2020 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0